Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार: गुना शहर की महिलाओं के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Mohini Jain[1]* Dr. Mohammad Arshad[2]

[1] Research Scholar, AISECT University, Bhopal (MP)

[2] Assistant Professor, Sociology Department, Social Science Institute, Dr. B. R. Ambedkar University, Agra (UP)

सारांश :– प्रस्तुत शोधपत्र में घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार : गुना शहर की महिलाओं के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया। इस शोध कार्य में हमनें गुना शहर के 50 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में चुना है। आंकड़ों के सकंलन के लिए उपकरण के रूप में उपकरण के रूप में घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सर्वाधिक महिलाओं का यह मानना हैं कि अशिक्षित होना एवं लिंग भेदभाव का होना धरेलु हिंसा के मुख्य कारण हैं। एवं सर्वाधिक महिलाओं का यह कहना हैं कि सर्वाधिक महिलाएँ घरेलू हिंसा से संबंधित कानून एवं अधिकार की आंशिक तौर पर जानकारी रखती हैं। जिससे यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि आज भी कई परिवारों में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हें वो हर काम करने की छूट दी जाती है जो नैतिक रूप से गलत है। इन्हीं का परिणाम है कि घरेलू हिंसा एवं बलात्कार जैसी घटनाऐं सामने आ रही हैं। इसके लिए उन विकासशील सोच वाले शिक्षित पुरूषों को आगे बढ़कर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा तथा महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति जाग्रत होना होगा।

मुख्यबिन्दु :– महिलाऐं, घरेलू हिंसा एवं मानव अधिकार।

----------X----------

1. प्रस्तावना :–

नारी की अवस्था के लिए सुखद स्थिति का प्रारम्भ बिट्रिष युग में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पर बल तथा नारी शिक्षा को महत्व देने से हुआ। दो महत्वपूर्ण आंदोलनों सामाजिक सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नारी की स्थिति में ओर सुधार हुआ। सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रणेता राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, महात्मा फुले तथा अन्य थे जिनका मूल उद्देश्य था, सती प्रथा का विरोध, विधवा स्त्रियों की स्थिति में सुधार, विधवा विवाह, संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रचार–प्रसार इन सारे पहलुओं पर विचार विमर्श ही वह मुख्य कुंजी है, जो धीरे–धीरे महिला समानता एवं विकास के सारे रास्ते खोलता चला गया। इसी समय सती विरोधी अधिनियम, विवाह एवं संपत्ति तथा बच्चों पर अधिकार से संबंधित कानूनों का निर्माण हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व वाला एवं उसके पूर्व का राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें नारी की जीवन पद्धति, विचार पद्धति एवं क्रिया पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। इस आंदोलन के साथ ही नारी शिक्षा समानता एवं उसके अधिकार एवं सुधार के संवैधानिक अधिनियम एवं कानून बनाना भी उल्लेखनीय है। मूल रूप से विधवा पुर्नविवाह कानून (1856), बाल विवाह (शारदा एक्ट 1928) तथा अन्य संपत्ति के अधिकार से विधित कानून पास किए गए, जिसका सीधा प्रभाव नारी विकास पर पडा, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उस समय जुड गया जब संगठन एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला के कार्य के घटें, समान वेतन, रात में कार्य नहीं, खान एवं खतरनाक कामों में भागीदारी पर रोक, बच्चे के लिए पालनागृह सुविधा प्रदान करना। इस तरह से महिला विकास के लिए शंखनाद कर दिया गया तथा यह भी बता दिया गया कि स्त्री विकास तभी संभव है जब शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी संगठित क्षेत्र में बढता कदम, स्वयं की पहचान को बढ़ावा देना।

2. पूर्व शोध कार्य :–

धुपकरिया, लता (2005) ने "महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक इन्द्रियानुभविक अध्ययन" शीर्षक पर यह शोध कार्य विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) से किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में हर वर्ग की महिलाओं के अभिमत को जानने के लिए स्तरित निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया तथा स्रोत सूची अप्राप्य व समग्र अस्पष्ट होने के कारण सूविधापूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध विषय में निरीक्षण व अनुसूची शोध उपकरणों का प्रयोग कर तथ्यों का संकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में जाकर क्षेत्र का निरीक्षण या अवलोकन किया गया तथा तथ्यों को संकलित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। उन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि महिलाएँ यदि उच्च शिक्षित हैं, तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेंगी और इस कानून का अपने पक्ष में सकारात्मक प्रयोग करेंगी। जिसके परिणास्वरूप घर का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। अर्थात्, महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास इस कानून को सफल बनायेगा और महिला विवाहित हो या अविवाहित उनकी गरिमा को संरक्षण व पोषण देगा।

3. **अध्ययन के उद्देश्यः–**

1) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगना।

2) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा **एवं महिला मानव अधिकार की जागरूकता** का पता लगना।

4. **शोध प्रविधि :–**

- **अध्ययन का न्यादर्श** :– प्रस्तुत शोध कार्य के लिए गुना शहर की 50 महिलाओं को लिया गया।
- **शोध विधि** :– प्रस्तुत समस्या **"घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार : गुना शहर की महिलाओं के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"** के अध्ययन के लिये अनुसंधानकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितियक विधियों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा द्वितियक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।
- **शोध कार्य में प्रयुक्त्व चर** :–

▷ घरेलू हिंसा

▷ महिला मानव अधिकार

- **शोध कार्य में प्रयुक्त साख्यिकी** :– शोध कार्य में आंकडों के संकलन के पश्चात उनका परिणाम निकालने के लिए निम्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग किया गया।
- **आवृत्ति**
- **प्रतिशत**
- **शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण** :– आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकार से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

5. **तथ्यों का विश्लेषण :–**

सारणी क्रमांक 1 आपके अनुसार धरेलु हिंसा के मुख्य कारण कौन से है:–

क्र.	विकल्प	श्रेणी
1	अशिक्षित होना	1
2	लिंग भेदभाव का होना	2
3	आत्मविशवास की कमी का होना	3
4	आत्मनिर्भर ना होना	4
5	कानूनी जागरूता ना होना	5
6	समान्य आर्थिक स्थिती का निम्न होना	6

सारणी क्रमांक 5.46 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के अनुसार धरेलु हिंसा के मुख्य कारणो को श्रेणी में विभाजित किया है जो क्रमषः इस प्रकार है। अशिक्षित होना, लिंग भेदभाव का होना, आत्मविश्वास की कमी का होना, आत्मनिर्भर ना होना, कानूनी जागरूता ना होना, समान्य आर्थिक स्थिती का निम्न होना है।

ग्राफ क्रमांक :– 1 आपके अनुसार धरेलु हिंसा के मुख्य कारण कौन से है, का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

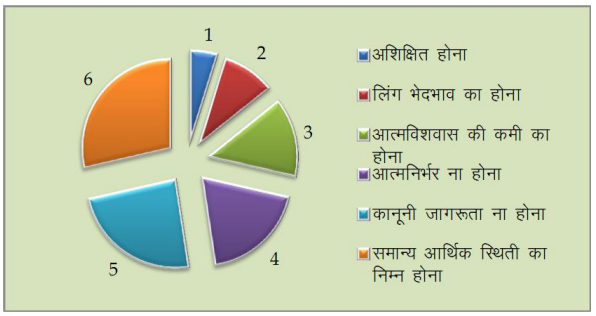

निष्कर्षः–

उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक महिलाओं का यह मानना कि अशिक्षित होना एवं लिंग भेदभाव का होना धरेलु हिंसा के मुख्य कारण हैं।

सारणी क्रमांक :– 2 क्या आप घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून के बारे में जानती हैं।

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	11	22
2	नहीं	6	12
3	आंशिक तौर पर हाँ	33	66
4	कुल	50	100

सारणी क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 66 प्रतिशत महिलाऐं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून के बारे में आंशिक तौर पर जानती हैं, 22 प्रतिशत महिलाऐं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून के बारे में जानती हैं तथा 12 प्रतिशत महिलाऐं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून के बारे में नहीं जानती हैं।

ग्राफ क्रमांक :– 2 क्या आप घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून के बारे में जानती हैं, का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

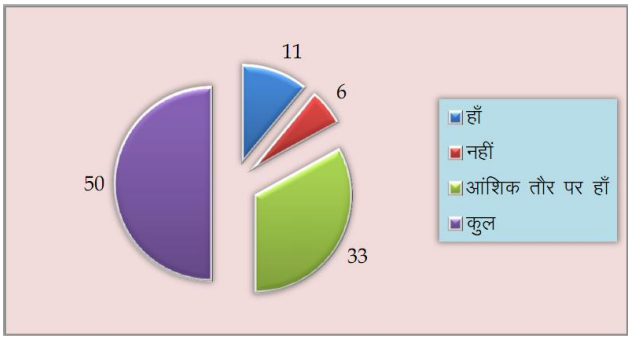

www.ignited.in

निष्कर्ष :–

उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक महिलाएँ घरेलू हिंसा से संबंधित कानून की आंशिक तौर पर जानकारी रखती हैं। जिसके कारण घरेलू हिंसा का स्तर बढ़ता जाता है। जिन महिलाओं को स्वयं के अधिकार व कानून की जानकारी रखती हैं। वे शुरूआत में ही ऐसी निंदनीय घटनाओं का विरोध करती हैं और कानून की भी मदद लेती हैं। जिससे भविष्य में उनके साथ ऐसी घटना होने की सम्भावना कम रहती है।

सारणी क्रमांक :– 3 क्या आपको महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता है?

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	13	26
2	नहीं	10	20
3	आंशिक तौर पर हाँ	27	54
4	कुल	50	100

सारणी क्रमांक 3 के विष्लेषण से स्पष्ट है कि 26 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हे महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता है, 54 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हे महिलाओं के अधिकारों के बारे में आंशिक तौर पर पता हैं तथा 20 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हे महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता नहीं हैं।

ग्राफ क्रमांक :– 3 क्या आपको महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता है, का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

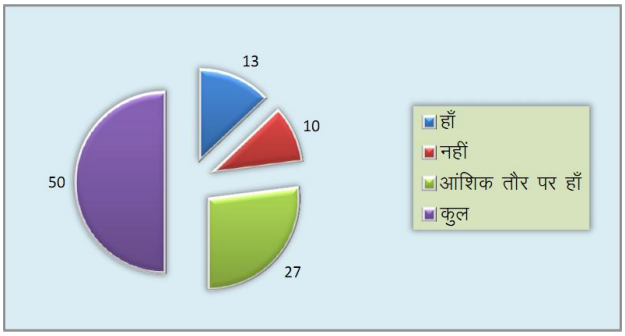

निष्कर्ष :–

उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश महिलाये जानती है कि उन्हे पिता की समपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार है, घरेलू हिंसा में सुरक्षा का अधिकार है, समान वेतन प्राप्ति का अधिकार है साथ ही शिक्षा प्राप्ति के साथ और भी कई अधिकार प्राप्त है।

6. परिणामः–

घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों में संतोष है, वही दूसरी ओर यह भी कहा है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नही है। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सचेत करना और इन अधिकारों को लागू करना अत्यंत आवष्यक है। महिला नीतियों में इस बात पर विषेष बढ़वा दिया है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए, औरत अबला नहीं रही यह समझने की जरूरत है। मूल्यों को झुठलाया नहीं जा सकता लेकिन इसे कैसे रोका जाए, यह एक बड़ा सवाल है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में सफल हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुरूष मानसिकता और उनकी सोच में बदलाव की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुछ पुरूष तो पुरूषवादी सोच से उपर उठकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ अभी भी रूढ़िवादी अहम के साथ जीते हैं। वे न बदलने को तैयार है और न ही किसी को सुनना चाहते हैं। पुरूषों और महिलाओं की सोच एक दिन में नहीं विकसित हो जाती है। शिक्षित महिलाओं की सोच और अशिक्षित महिलाओं की सोच में जिस तरह से अंतर होता है उसी तरह शिक्षित और अशिक्षित पुरूषों की समझ में घरती आसमान का अन्तर होता है। पुरूषों में पुरूषवादी सोच कहां से पनपती है इसका कारण जान कर उसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। आज भी अधिकांष परिवारों में लड़कियों पर परवाह नहीं की जाती है और लड़को को लाड़–प्यार दिया जाता है। तो भेदभाव का बीज तो जन्म के बाद से ही समाज ने स्त्री और पुरूषों के मन में बो दिया जाता है। देष के किसी भी कोने में चले जाए ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को कम आंकते हैं। आज भी कई परिवारों में महिलाओं का घरेलू हिंसा का स्तर कम नहीं हुआ। किसी भी सभ्य समाज में बलात्कार, षोषण, हिंसा, असुरक्षा की भावना के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के साथ जो घटित हो रहा है इससे तो यही निष्कर्ष निकाला कि समाज में पुरूष बदलने की कोषिष नहीं करना चाहते। पुरूष अपने को सबल समझते हैं लेकिन अपने कर्त्तव्य को नकार रहे हैं। महिलाएं बदल रही हैं तो पुरूषों को भी बदलना होगा। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। आज भी कई परिवारों में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हें वो हर काम करने की छूट दी जाती है जो नैतिक रूप से गलत है। इन्हीं का परिणाम इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके लिए उन विकासषील सोच वाले शिक्षित पुरूषों को आगे बढ़कर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा।

7. सुझाव :–

- महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य रुप से दी जानी चाहिये जिससे वो समाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
- सरकार एवं परिवार को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें, जो शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।
- घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए जिसके लिए संगोष्ठी का अयोजन किया जाना चाहिए एवं महिलाओं को उनके सम्पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।
- परम्परागत एवं रुढिवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने से ही लैगिंक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

8. संदर्भ ग्रंथ सूची :–

अहूजा, राम (2008). सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

धुपकरिया, लता (2005). "महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक इन्द्रियानुभविक अध्ययन" अप्रकाषित शोध, समाजषास्त्र संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।

श्रीवास्तव, सुधारानी (2009). "महिला उत्पीडन और वैधानिक उपचार", प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

सक्सेना, अल्का एवं गुप्ता, चन्द्र सुभाष (2011). "पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं", प्रकाशक राधा पब्लिकेन्स, 4231/1 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

रिजवी, आबिद आबिद (2012). "महिला अधिकार कानून तुलसी साहित्य", पब्लिकेन्स मांधी मार्ग निकट ओडियन सिनेमा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

Corresponding Author

Mohini Jain*

Research Scholar, AISECT University, Bhopal (MP)

E-Mail - mohinijain9708@gmail.com